

FORM NO. LU

फर्द प्रहकाम

(नियम.26)

जज अदालत अति. जिला कलेक्टर मुकान 213

सुरेश कोठे बनाम वर. देवली

किरम मुकदमा अपील नं. 95/2013 सन् 66
5/2015 27-8-13

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथियलस जज	नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

15.07.2013

अपीलान्त श्री सुरेश कोठे वगैरह ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।

Handwritten signature
बतिखत बिज कलेक्टर टोंक

21 $\frac{8}{13}$

पत्रावली न्यायालय अति. जिला कलेक्टर में से प्राप्त होने एवं मंत्रालयिक कर्मचारी की सामूहिक अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। P.O. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो। शेर्

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

2-12-16

अग्नि. उमग्रपथ उपण। अग्नि. अपीलान्ट बटल
हेतु उमग्रपथ चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बटल दिनांक
6-1-17 को पेश हो। ✓

6-1-17

बतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अग्निभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगित
रखा है। वास्ते बटल पत्रावली दि. 27-1-17 को पेश
हो। ✓

27-1-17

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

अग्नि. उमग्रपथ उपण। बटल हेतु अग्नि. अपीलान्ट
उमग्रपथ चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बटल दिनांक 23-2-17
को पेश हो। ✓

23-2-17

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब

पत्रावली पेश। राजकीय पेशेकार (रैस्पेण) उपण।
अपीलान्ट व उनके अग्निभाषक अनुण। अपीलान्ट व
उनके अग्निभाषक को बार-बार आवज लगावई गई
किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः अग्नि. अपीलान्ट
अदल हाजरी-अदल पैरवी में क्वॉरिज की जाती है।
पत्रावली निर्णीत शुभारंभ होकर बाद तकनीक दारिबल
दफतर हो। ✓

बतिरिक्त जिला कलेक्टर

दोंब